जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 28.01.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 04 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना दुधारा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- *थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3308 द्वारा दो बाइक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 3308 को इवेंट सं0 46361 से थाना महुली क्षेत्रांतर्गत सडहरा के पास दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (01. सोनू पुत्र केशवान निवासी सडहरा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 2.संदीप पुत्र किल्लू निवासी भगता थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 3. संजीवन लाल गौतम पुत्र ओमप्रकाश निवासी निब्बाहोरिल थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर घायल व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी0 नाथनगर भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में महुली को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी नाथनगर भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 उत्तम चौधरी, हो0चा0 रामकेश मौर्या।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 128 वाहनों से 1,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28.01.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 128 वाहनों से 1,29,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 13 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे आपरेशन त्रिनेत्र हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सत्यजीत गुप्ता के निर्देशन में आज दिनांक 28.01.2025 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 13 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 13 कैमरा लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्ति को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम व मारपीट के मामले में अभियुक्त को 03 साल का कारावास व कुल 5500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 28.01.2025 को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना महुली पर पंजीकृत मु0सं0 486/2009 धारा 323,504,506, 3(1)X एससीएसटी एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता अमित कुमार यादव पुत्र शिवपुजन निवासी रतनपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर के अन्तर्गत धारा 323 भा0दवि0 में 06 माह के कारावास तथा 500 रु0 अर्थदण्ड धारा 504 भा0द0वि में 01 वर्ष कारावास तथा 1000 रु0 जुर्माना धारा 506 भा0द0वि में 01 वर्ष कारावास तथा 1000 रु0 जुर्माना अन्तर्गत धारा 3(1)Xएससीएसटी एक्ट के मामलें में 03 वर्ष कारावास तथा 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। 357 सीआरपीसी वादी मुकदमा देव नारायण को अर्थदण्ड की आधी राशि प्रदान की को जाएगी।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 2500 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास से फलस्वरुप आज दिनांक 28.01.2025 को श्रीमान ***अपर सत्र न्यायाधीश(एफटीसी-2), जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना बखिरा*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 442/2018 धारा 498(क) / 304(ख),201 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त 01- बालकेश पुत्र कल्पनाथ यादव निवासी देवकली थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0सं0 442/2018 धारा 498क, 304ख, 201 भा0द0वि0 व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण मे दोषसिद्ध किया जाता है। 498क भादवि में 01 वर्ष की अवधि के कारावास एवं 1000 रु0 के अर्थदण्ड से

अन्तर्गत धारा 304ख भादवि के तहत 07 वर्ष के कारावास, अन्तर्गत धारा 201 भादवि के तहत 01 वर्ष का कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड, अन्तर्गत धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 06 माह के कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। समस्त सजाएं साथ साथ चलेंगी। प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष द्वारा पूर्व मे कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जाएगा। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिति मे सिद्धदोष को 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सिद्धदोष बालकेश को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला कारागार महराजगंज प्रषित किया जाये।